

राज्य में 44 वेटलैंड्स के लिये ड्राफ्ट अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों?

22 मार्च, 2023 को वशिव जल दविस के अवसर पर पर्यावरण एवं जलवायु परविरतन वभिग द्वारा वेटलैंडस् की महक्ता को देखते हुए राज्य के वभिन्न ज़िलों में 44 वेटलैंड्स को चहिनति कर आदरभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नयिम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई है।

प्रमुख बदि

- राज्य में 44 जल संरचनाओं को वेटलैंड्स के रूप में अधिसूचित कयिा गया है। इन वेटलैंड्स के संबंध में कोई भी वयक्ता अपने सुझाव अथवा आपक्तरियों 60 दनि के अंदर संयुक्त शासन सचवि, पर्यावरण एवं जलवायु परविरतन वभिग को दे सकेगा। इस अवधि में प्राप्त सुझावों एवं आपक्तरियों के आधार पर इन 44 वेटलैंड्स के संबंध में अंतमि अधिसूचना जारी की जाएगी।
- पर्यावरण एवं जल संसाधन वभिग के अतरिकित मुख् सचवि शखिर अग्रवाल ने बताया क अधिसूचना में वेटलैंड की सीमा तथा बफर क्षेत्र का GPS वविरण देने के साथ वेटलैंड की सीमा और बफर क्षेत्र में प्रतबिधिति एवं वनियमति गतविधियों की सूची संलग्न की गई है।
- वेटलैंड्स की सीमा में खनन कार्य, वाणजिय कार्यो के लयि पानी का नकिस, अपशषिट डालना, औद्योगकि गतविधियों, पोचगि, काश्तकारी इत्याद को नषिध कयिा गया है।
- ज्जातव्य है क वेटलैंडस् जंतु ही नही बल्का पादपों की दृष्टिसे भी एक समृद्ध तंत्र है, जहाँ उपयोगी वनस्पतरियों एवं औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में मलिते हैं तथा इनके उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमकि नभिते हैं।
- वेटलैंडस् बाढ़ के दौरान जल के आधकिय का अवशोषण करते हैं जसिसे मानवीय आवास क्षेत्रों में जान व माल की हानि नहीं होती। ये क्षेत्र 'कारबन अवशोषण' व 'भू-जल स्तर में वृद्धि' जैसी महत्त्वपूर्ण भूमकिओं का नरिवहन कर पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देते हैं। स्थानीय लोगो की आजीवकि के लयि भी वेटलैंडस् अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।